

Speed post /त्रिब डाक

Violation letter/उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer-
305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: MCDR-MiFL0LST/18/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: 08 /01/2024

प्रेषित: खान एजेंट,
रास-I चूना पत्थर खान,
मेसर्स अंबेजा सीमेंट लिमिटेड,
पोस्ट राबरियावास
तहसील जैतारण, जिला पाली (राजस्थान),
पिन: 306709

(e-mail: sandeep.singh9@adani.com, vishal.gupta@adani.com)

विषय: राजस्थान राज्य के पाली जिले में स्थित आपकी रास-I चूना पत्थर खानमें खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

इस कार्यालयके डॉ. ए. जेड. खान, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा दिनांक 18.12.2023 को किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन पाया गया-

Rule	Status and extent of violation
11 (1)	<p>The mining operations in the lease area has not been carried out as per review of mining plan approved on 24.01.2022 and following deviations have been observed during inspection:</p> <p>(a) It was proposed to drill 04 boreholes with total 286 meter. But no such exploration has been carried out.</p> <p>(b) It was planned & proposed to work in Pit-1 by forming 7 benches of 8 meter from N291437-N2920141, E423300-E423704 & N 2920206-N2920462, E423353-E423981 with maximum depth of working will be 425mRL to produce 1413775 tonne ROM Limestone. It was observed during inspection & from the image/plan and data submitted to this office that the development/excavation has not been carried out as per the approved proposal. It was also observed that at places benches are not properly made and benches height also not maintained to 8 meter.</p> <p>(c) It was proposed to dump IB waste in waste dumps WD-2 between N2919225-N2919317 & E 423937-E424007. It was observed during inspection & from the image/plan and data submitted to this office that waste dump management has not been carried out as per approved proposal the IB has been dumped on waste dump WD1 between Grid E 423600-E423800 & N 2918950- 2919150 and the waste not properly spread over dumps and at</p>

I/23465/2024

I/23465/2024

places terracing also not found.

(d) For protective measures fencing of 400m between N2919643-N2919781& E424192-E424329 was proposed. Fencing was not observed during inspection.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिजसंरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।
- (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा)
उप खान नियंत्रक (प्रभारी)
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सोजत, जिला पाली।
4. रक्षित पत्रवली।

उप खान नियंत्रक (प्रभारी)
भारतीय खान ब्यूरो